शासनादेश का निरस्तीकरण

संख्या-29/2016/774/बावन-1-2016-12(एम०एस०डी०पी०)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 08 मार्च,2016

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-मुरादाबाद** के भोजपुर में राजकीय इण्टर कालेज में 10 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 01 शौचालय ब्लाक सहित 01 छात्रावास के निर्माण एवं ब्लाक छजलैट के ग्राम शामपुर में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु केन्द्रांश की अवशेष **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-199/52-1-16-12(एम०एस०डी०पी०)/13, दिनांक 18.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे उक्त जनपद के राजकीय इण्टर कालेज में 10 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 01 शौचालय ब्लाक सहित 01 छात्रावास का निर्माण एवं ब्लाक छजलैट के ग्राम शामपुर में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु **द्वितीय किश्त** की धनराशि रू0 2,58,35,000/-(रू0 दो करोड़ अट्ठावन लाख पैंतीस हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपरिहार्य कारणों से उक्त वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 18.02.2016 को तात्कालिक प्रभाव से **निरस्त** किया जाता है।

[redacted]

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या- (1)/बावन-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

http://siasanadesh.up.nic.in

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** ।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in